

मान्यता कोड : RJUDP30498 ,

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)UDAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: 3506

दिनांक 04.01.2021

सचिव


प्रबंध समिति

Neo valley International Secondary School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36223 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Neo valley International Secondary School पता RKS sansthan vidhya vihar pratap nagar ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय CHAWAND ब्लॉक SARADA को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

| नाम परिवर्तन के लिए विवरण | |
|---|---|
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम | Neo valley International Secondary School |
| स्वीकृत नवीन नाम | VARDAAN SCHOOL |


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

मान्यता कोड : RJUDP30498 ,

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर

मान्यता कोड : RJUDP30498


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,..... संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम उदयपुर

क्रमांक: जिशिअ/उदय/माप्र/लेखा-2/फा-मान्यता-क्रमोन्नति/2011-12/ 246-250 दिनांक: 12.5.11

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान अजमेर

विषय: गैर सरकारी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति प्रदान करने के संबंध में

महोदय

उपरोक्त विषय में उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-4/21313/वो-1/2011-12/09.5.2011 के द्वारा गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त निम्न शर्तों के आधार पर सत्र 2011-12 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेगी।
2. संस्था में शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जावेगा।
3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी।
4. संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
5. संस्था सत्र 2011-12 में कक्षा 9वीं प्रारंभ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2012-13 में कक्षा 10 वीं प्रारंभ करेगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार कोताही पायी गई तो संस्था की मान्यता बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जावेगी।
7. संस्था को बोर्ड के नियमानुसार निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
8. संस्था को प्रति वर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से (पीडब्ल्यूडी) प्राप्त कर एवं सभी विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा अनिवार्य रूप से करवाकर छाया प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करनी होगी नहीं करने पर मान्यता निरस्त कर दी जावेगी।
9. संस्था मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से प्रपत्र "क" प्राप्त कर दो प्रतियों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को एवं एक एक प्रति आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करनी होगी।
10. विद्यालय नाम / भवन / वर्ग / माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना विभाग की स्वीकृति के स्थान, भवन, नाम, वर्ग, एवं माध्यम परिवर्तन किया गया तो मान्यता निरस्त कर दी जावेगी।
11. राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों / नियमों / निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।



उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति

| क्र.स. | संस्था / विद्यालय का नाम | माध्यम |
|--------|---|----------|
| 1 | द सीमिन रिपब्लिक स्कूल उप्रावि अम्बावगढ उदयपुर | अंग्रेजी |
| 2 | सेन्ट मेथ्यूस उप्रावि गोगुन्दा उदयपुर | अंग्रेजी |
| 3 | नियोवेली इन्टरनेशनल उप्रावि चावण्ड सराडा उदयपुर | अंग्रेजी |
| 4 | सेन्ट थॉमस इंग्लिश स्कूल फतहनगर उदयपुर | अंग्रेजी |
| 5 | द स्टेनवर्ड स्कूल उप्रावि गणेशनगर पहाडा उदयपुर | अंग्रेजी |

(कालूलाल बया)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

क्रमांक: जिशिअ/उदय/माप्र/लेखा-2/फा-मान्यता-क्रमोन्नति/2011-12/

दिनांक: 12.5.11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव शिक्षा गुप 5 विभाग शासन सचिवालय जयपुर
2. आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय/प्रारम्भिक उदयपुर
5. संबंधित संस्था *नियोवेली इन्टरनेशनल उप्रावि चावण्ड सराडा*
6. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
7. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर राज०

क्रमांक जिशिक्षा/प्राशिक्ष/उदय/मान्यता/सामा-1/2009/ दिनांक-31.3.09

30

--: कार्यालय-आदेश :-

कोड नम्बर 672

राजपुरोहित श्री कृपा शंकर शिक्षा विकास एवं सेवा संस्थान
वावण्ड द्वारा संचालित नियोजित इन्टरनेशनल उ०प्रा०वि० वावण्ड , उदयपुर
को गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 के
परिशिष्ट -2 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्दिष्ट ~~निर्बन्धनों~~
निर्बन्धनों तथा शर्तों की पूर्ति करने हेतु दिये गये शपथ पत्रों के आधार पर
सत्र -2009-10 से उच्च प्राथमिक स्तर की हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में मान्यता
प्रदान की जाती हैं ।

मान्यता शर्तों की पालना नहीं करने अथा किसी सक्षम अधिकारी
द्वारा निरीक्षण के समय विपरित स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता
निरस्त की जा सकती हैं । सत्र 2009-10 में कक्षा 6 प्रारम्भ करने
की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांक-जिशिक्षा/प्राशिक्ष/उदय/मान्यता/सामा-1/2009/ दिनांक-31.3.09
प्रतिलिपि सूक्ष्मार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. -- उपनिदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
3. सचिव/संस्थापक-----
4. कार्यालय प्रति

Munshi
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर